

**सूचना फलक**

**(महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015)**

**महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 मधील तरतूदीनुसार अधिसूचित केलेल्या सेवांबाबत तपशिल**

**मिरा भाईंदर महानगरपालिका**

| अ.क्र. | अधिसूचित लोकसेवेचा तपशिल | आवश्यक कागदपत्रे | लोकसेवा पुरविण्यासाठी विहित केलेली कालमर्यादा | लोकसेवा पुरविण्यासाठी निर्धारित शुल्क | पदनिर्देशित अधिकारी | प्रथम अपिलीय अधिकारी | द्वितीय अपिलीय अधिकारी |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | जन्म प्रमाणपत्र देणे | विहित नमुन्यातील अर्ज | 03 दिवस | पहिली प्रत मोफत व तद्नंतर प्रती प्रत रु.10/- | उप-निबंधक | वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी | उप-आयुक्त (वैद्यकीय) |
|  | मृत्यु प्रमाणपत्र देणे | विहित नमुन्यातील अर्ज | 03 दिवस | पहिली प्रत मोफत व तद्नंतर प्रती प्रत रु.10/- | उप-निबंधक | वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी | उप-आयुक्त (वैद्यकीय) |
|  | विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र देणे | 1. विहित नमुन्यातील अर्ज 2. वास्तव्याचा पुरावा 3. वयाचा पुरावा 4. विवाहासाठी उपस्थित साक्षीदारांचे स्वयंघोषणापत्र 5. 90 दिवसांनंतर नोंदणी असल्यास स्वयंघोषणापत्र | 03 दिवस | 1. 03 महिन्याचे आत रू.50/- 2. 01 वर्षाचे आत रू.150/- 3. 01 वर्षाचे नंतर रू. 250/- | सहा. आयुक्त | उप-आयुक्त | अतिरिक्त आयुक्त |
|  | मालमत्ता कर उतारा देणे | 1. विहित नमुन्यातील अर्ज 2. थकबाकी नसल्याचा दाखला | 03 दिवस | एका सदनिकेस रू.10 प्रमाणे | सहा. आयुक्त | उप-आयुक्त | अतिरिक्त आयुक्त |
|  | थकबाकी नसल्याचा दाखला देणे | विहित नमुन्यातील अर्ज | 03 दिवस | एका सदनिकेस रू.10 प्रमाणे | सहा. आयुक्त | उप-आयुक्त | अतिरिक्त आयुक्त |
|  | 1. दस्तऐवजाच्या आधारे मालमत्ता हस्तांतरण नोंद प्रमाणपत्र देणे | 1. विहित नमुन्यातील अर्ज 2. थकबाकी नसल्याचा दाखला 3. दस्तऐवजाची प्रत (खरेदी खत/बक्षीस पत्र/वाटणीपत्र व इतर) | 15 दिवस | 1. 01 ते 300 चौ.फुट   (निवासी मालमत्ता रु.2500/-बिगरनिवासी मालमत्ता रु.4000/-   1. 301 चौ.फु. ते 600 चौ. फु (निवासी मालमत्ता रु.3500/-, बिगरनिवासी मालमत्ता रु.7000/- 2. 601 चौ.फु. ते 1000 चौ. फु. (निवासी मालमत्ता रु.7000/-, बिगरनिवासी मालमत्ता रु.15000/- 3. 1001 चौ. फु. च्या पुढे   (निवासी मालमत्ता रु.10000/-, बिगरनिवासी मालमत्ता रु.20000/-   1. गावठाण व झोपडपट्टी क्षेत्रातील मालमत्ता   (निवासी मालमत्ता रु.2000/-, बिगरनिवासी मालमत्ता रु.4000/- | सहा. आयुक्त | उप-आयुक्त | अतिरिक्त आयुक्त |
| ब) वारसाहक्काने मालमत्ता हस्तांतरण नोंद प्रमाणपत्र देणे | 1. विहित नमुन्यातील अर्ज 2. थकबाकी नसल्याचा दाखला 3. वारसहक्क प्रमाणपत्र) | 15 दिवस | वारसा हक्क/एकाच कुटूंबातील अंतर्गत मालमत्ता हस्तांतरण रू.1000/- | सहा. आयुक्त | उप-आयुक्त | अतिरिक्त आयुक्त |
|  | नव्याने कर आकारणी | 1. विहित नमुन्यातील अर्ज 2. भोगवटा प्रमाणपत्र | 15 दिवस | क्षेत्रफळानुसार प्रचलित दर | सहा. आयुक्त | उप-आयुक्त | अतिरिक्त आयुक्त |
|  | पुन: कर आकारणी | विहित नमुन्यातील अर्ज | 15 दिवस | रू.3.00 निवासी, रु.4.50 बिगर निवासी, रु.7.50 गोडाऊन, हॉल, लाँजिंग, बोंर्डिंग | सहा. आयुक्त | उप-आयुक्त | अतिरिक्त आयुक्त |
|  | कराची मागणी पत्र तयार करणे | विहित नमुन्यातील अर्ज | 03 दिवस | रू.3.00 निवासी, रु.4.50 बिगर निवासी, रु.7.50 गोडाऊन, हॉल, लाँजिंग, बोंर्डिंग | सहा. आयुक्त | उप-आयुक्त | अतिरिक्त आयुक्त |
|  | कर माफी मिळणे | 1. विहित नमुन्यातील अर्ज 2. थकबाकी नसल्याचा दाखला | 07 दिवस | माजी सैनिक घरपट्टी पूर्ण माफी | सहा. आयुक्त | उप-आयुक्त | अतिरिक्त आयुक्त |
|  | रहिवास नसलेल्या मालमत्तांना करात सुट | 1. विहित नमुन्यातील अर्ज 2. थकबाकी नसल्याचा दाखला | 15 दिवस | - | सहा. आयुक्त | उप-आयुक्त | अतिरिक्त आयुक्त |
|  | स्वयंमुल्यांकन | विहित नमुन्यातील अर्ज | 15 दिवस | - | सहा. आयुक्त | उप-आयुक्त | अतिरिक्त आयुक्त |
|  | आक्षेप नोंदविणे | 1. विहित नमुन्यातील अर्ज 2. थकबाकी नसल्याचा दाखला | 15 दिवस | - | सहा. आयुक्त | उप-आयुक्त | अतिरिक्त आयुक्त |
|  | उप विभागामध्ये मालमत्ता विभाजन | 1. विहित नमुन्यातील अर्ज 2. थकबाकी नसल्याचा दाखला 3. मालकी हक्काची कागदपत्रे (खरेदीखत, वाटणीपत्र, बक्षीस पत्र इ.) | 15 दिवस | विभाजन करण्यात येत नाही. | सहा. आयुक्त | उप-आयुक्त | अतिरिक्त आयुक्त |
|  | मालमत्ता पाडणे व पुन: बांधणी कर आकारणी | 1. विहित नमुन्यातील अर्ज 2. थकबाकी नसल्याचा दाखला | 15 दिवस | - | सहा. आयुक्त | उप-आयुक्त | अतिरिक्त आयुक्त |
|  | व्यापार/व्यवसाय साठा करणेसाठी नाहरकत प्रमाणपत्र | योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज | 07 दिवस | क्षेत्रफळानुसार | सहा. आयुक्त | उप-आयुक्त | अतिरिक्त आयुक्त |
|  | नविन परवाना मिळणे | 1. योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज  2. कोणतीही थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र | 15 दिवस | क्षेत्रफळानुसार | सहा. आयुक्त | उप-आयुक्त | अतिरिक्त आयुक्त |
|  | परवान्याचे नुतनीकरण | 1. योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज  2. कोणतीही थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र | 15 दिवस | क्षेत्रफळानुसार | सहा. आयुक्त | उप-आयुक्त | अतिरिक्त आयुक्त |
|  | परवाना हस्तांतरण | 1. योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज  2. कोणतीही थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र | 15 दिवस | रु.500/- | सहा. आयुक्त | उप-आयुक्त | अतिरिक्त आयुक्त |
|  | परवाना दुय्यम प्रत | 1. योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज  2. कोणतीही थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र | 15 दिवस | रु.250/- | सहा. आयुक्त | उप-आयुक्त | अतिरिक्त आयुक्त |
|  | व्यवसायाचे नाव बदलणे | 1. योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज  2. कोणतीही थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र | 15 दिवस | - | सहा. आयुक्त | उप-आयुक्त | अतिरिक्त आयुक्त |
|  | व्यवसाय बदलणे | 1. योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज  2. कोणतीही थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र | 15 दिवस | - | सहा. आयुक्त | उप-आयुक्त | अतिरिक्त आयुक्त |
|  | परवाना धारक/भागदाराचे नाव बदलणे | 1. योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज  2. कोणतीही थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र | 15 दिवस | - | सहा. आयुक्त | उप-आयुक्त | अतिरिक्त आयुक्त |
|  | भागीदाराच्या संख्येत बदल (वाढ/कमी) | योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज | 15 दिवस | - | सहा. आयुक्त | उप-आयुक्त | अतिरिक्त आयुक्त |
|  | परवाना रद्द करणे | योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज | 15 दिवस | - | सहा. आयुक्त | उप-आयुक्त | अतिरिक्त आयुक्त |
|  | कालबाहय परवानासाठी नुतनीकरण सुचना | 1. योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज  2. कोणतीही थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र | 15 दिवस | - | सहा. आयुक्त | उप-आयुक्त | अतिरिक्त आयुक्त |
|  | मंडपासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र | 1. योग्य प्रकारे भरलेले अर्ज  2. रस्ता पुनर्स्थापन करार | 07 दिवस | क्षेत्रफळानुसार | सहा. आयुक्त | उप-आयुक्त | अतिरिक्त आयुक्त |
|  | व्यवसाय परवाना स्वयं नुतनीकरण (ऑटो रिन्युअल) | 1. विहित नमुन्यातील अर्ज 2. संबंधीत म.न.पा.ची कोणतीही थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र. |  | - | सहा. आयुक्त | उप-आयुक्त | अतिरिक्त आयुक्त |
|  | झोन दाखला देणे | 1. विहित नमुन्यातील अर्ज 2. 7/12 उतारा/सिटी सर्व्हे उतारा 3. मोजणी नकाशा/सिटी सर्व्हे नकाशा | 07 दिवस | रु.500/- प्रती  सर्व्हे क्रमांक | सहा. नगररचनाकार | नगररचनाकार | सहा. संचालक (नगररचना) |
|  | भाग नकाशा देणे | 1. विहित नमुन्यातील अर्ज 2. 7/12 उतारा/सिटी सर्व्हे उतारा 3. मोजणी नकाशा/सिटी सर्व्हे नकाशा | 03 दिवस | छायाप्रत  (साईज नुसार)  रु.1100/- | सहा. नगररचनाकार | नगररचनाकार | सहा. संचालक (नगररचना) |
| प्रमाणित प्रत रु.100/- |
|  | बांधकाम परवाना देणे | 1. विहित नमुन्यातील अर्ज 2. वास्तुविशारदाख दाखला 3. मालकी हक्काची कागदपत्रे 4. बांधकाम आराखडा नकाशा 5 प्रती 5. मोजणी नकाशा 6. मंजूर रेखांकनाची प्रत | 60 दिवस | रेडी रेकनरनुसार | सहा. नगररचनाकार | नगररचनाकार | सहा. संचालक (नगररचना) |
|  | जोते प्रमाणपत्र | 1. विहित नमुन्यातील अर्ज 2. बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र 3. मोजणी नकाशा/सिटी सर्व्हे नकाशा | 15 दिवस | लागू नाही | सहा. नगररचनाकार | नगररचनाकार | सहा. संचालक (नगररचना) |
|  | भोगवटा प्रमाणपत्र देणे | 1. विहित नमुन्यातील अर्ज 2. बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र 3. जोते प्रमाणपत्र 4. घर मालक/ वास्तुविशारद यांचे पूर्णत्वाचे स्वयंघोषणापत्र | 30 दिवस | लागू नाही | सहा. नगररचनाकार | नगररचनाकार | सहा. संचालक (नगररचना) |
|  | नळ जोडणी देणे | 1. विहित नमुन्यातील अर्ज 2. जागा मालकी कागदपत्रे 3. जोते प्रमाणपत्र 4. थकबाकी नसल्याचा दाखला | 15 दिवस | निवासी –  1. इमारत 1”– रु.52,220/-  2. गावठाण स्वतंत्र घर 1/2”- रु.6,520/-  3. ग्रुप कनेक्शन 1/2” – रु.7,520/-  4. रो-हाऊस, बंगला 1/2” – रु.31,520/-  (प्रति नळजोडणी) | कनिष्ठ/  शाखा अभियंता | कार्यकारी अभियंता | शहर अभियंता |
| अनिवासी –  1. व्यवसाय 1” – रु.78,070/-  2. व्यवसाय 1/2” – रु.46,870/-  (प्रति नळजोडणी)  (रस्ता दुरुस्ती शुल्क – रु.2,880/- प्र.मि.) |
|  | मालकी हक्कात बदल करणे (नावात बदल) | 1. विहित नमुन्यातील अर्ज 2. मालकी हक्क कागदपत्रे 3. थकबाकी नसल्याचा दाखला. | 07 दिवस | घरगुती - रु.500/-  वाणिज्य – रु.1000/-  (प्रति नळजोडणी) | कनिष्ठ/  शाखा अभियंता | कार्यकारी अभियंता | शहर अभियंता |
|  | नळ जोडणी आकारामध्ये बदल करणे | 1. विहित नमुन्यातील अर्ज 2. थकबाकी नसल्याचा दाखला. | 15 दिवस | - |  |  |  |
|  | तात्पुरते/कायमस्वरुपी नळ जोडणी खंडीत करणे | 1. विहित नमुन्यातील अर्ज 2. थकबाकी नसल्याचा दाखला. | 07 दिवस | घरगुती - रु.1470/-  वाणिज्य - रु.1970/-  (प्रति नळजोडणी) | कनिष्ठ/  शाखा अभियंता | कार्यकारी अभियंता | शहर अभियंता |
|  | पुर्न: जोडणी करणे | 1. विहित नमुन्यातील अर्ज 2. थकबाकी नसल्याचा दाखला. | 15 दिवस | घरगुती - रु.1000/-  वाणिज्य - रु.1000/-  (प्रति नळजोडणी) |  |  |  |
|  | वापरामध्ये बदल करणे | 1. विहित नमुन्यातील अर्ज 2. थकबाकी नसल्याचा दाखला. | 15 दिवस | - | कनिष्ठ/  शाखा अभियंता | कार्यकारी अभियंता | शहर अभियंता |
|  | पाणी देयक तयार करणे | विहित नमुन्यातील अर्ज | 03 दिवस | - |  |  |  |
|  | प्लंबर परवाना | 1. विहित नमुन्यातील अर्ज 2. थकबाकी नसल्याचा दाखला. | 15 दिवस | - | कनिष्ठ/  शाखा अभियंता | कार्यकारी अभियंता | शहर अभियंता |
|  | प्लंबर परवाना नुतनीकरण करणे | 1. विहित नमुन्यातील अर्ज 2. शैक्षणिक अर्हतेबाबतचे प्रमाणपत्र. 3. थकबाकी नसल्याचा दाखला. | 15 दिवस | - |  |  |  |
|  | थकबाकी नसल्याचा दाखला | विहित नमुन्यातील अर्ज | 03 दिवस | - | कनिष्ठ/  शाखा अभियंता | कार्यकारी अभियंता | शहर अभियंता |
|  | नादुरुस्ती मिटर तक्रार करणे | विहित नमुन्यातील अर्ज | 07 दिवस | - |  |  |  |
|  | अनधिकृत नळ जोडणी | विहित नमुन्यातील अर्ज | 07 दिवस | घरगुती - 1”– 1,51,588/-  घरगुती - ½”– 78,765/-  (प्रति नळजोडणी) | कनिष्ठ/  शाखा अभियंता | कार्यकारी अभियंता | शहर अभियंता |
|  | पाण्याची दबाव क्षमता तक्रार | विहित नमुन्यातील अर्ज | 03 दिवस | **निवासी**  नळजोडणी स्थानांतरण करणे  घरगुती - 1”– 4,040/-  घरगुती - ½”– 2,840/-  नळजोडणी दुरुस्ती करणे  घरगुती - 1”– 2,570/-  घरगुती - ½”– 3070/-  (प्रति नळजोडणी)  **अनिवासी**  नळजोडणी स्थानांतरण करणे  वाणिज्य - 1”– 6,640/-  वाणिज्य - ½”– 4,440/-  नळजोडणी दुरुस्ती करणे  वाणिज्य - 1”– 3,070/-  वाणिज्य - ½”– 2,070/-  (प्रति नळजोडणी)  (रस्ता दुरुस्ती शुल्क – रु.2,880/- प्र.मि.) |  |  |  |
|  | पाण्याची गुणवत्ता तक्रार | विहित नमुन्यातील अर्ज | 03 दिवस | - | कनिष्ठ/  शाखा अभियंता | कार्यकारी अभियंता | शहर अभियंता |
|  | मलनिस्सारण जोडणी देणे | 1. विहित नमुन्यातील अर्ज 2. जागा मालकी कागदपत्रे 3. थकबाकी नसल्याचा दाखला. | 15 दिवस | 6” व्यासाच्या वरील - रु.50,000/-  4” ते 6” व्यासाकरीता - रु.25,000/-  वैयक्तिक जोडणीस - रु.15,000/- |  |  |  |
|  | सिनेमा चित्रीकरण परवाना (Moving Shotting License) नविन परवाना व नुतणीकरण | 1. विहित नमुन्यातील अर्ज 2. संबंधीत म.न.पा.ची कोणतीही थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र. | 15 दिवस | 1. मराठी – रु.15,000/- + GST (18%) प्रतीदिन 2. हिंदी – रु.35,000/- + GST (18%) प्रतीदिन 3. मैदाने/गार्डन 1 एकर पर्यंत रु.75,000/- + GST (18%) 4. मैदाने/गार्डन 1 एकरच्या वरती रु.1,50,000/- + GST (18%) | सहा.आयुक्त | उप-आयुक्त | अतिरिक्त आयुक्त |
|  | जाहिरात/परवाना आकाशचिन्ह परवाना (Signange License) नविन परवाना व नुतणीकरण | 1. विहित नमुन्यातील अर्ज 2. संबंधीत म.न.पा.ची कोणतीही थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र. | 15 दिवस | रु.43/- प्रती चौ.फुट प्रती महा (प्रत्येक वर्षी 5% वाढ) | सहा. आयुक्त | उप-आयुक्त | अतिरिक्त आयुक्त |
|  | अग्निशमन ना-हरकत दाखला देणे | 1. विहित नमुन्यातील अर्ज 2. थकबाकी नसल्याचा दाखला 3. वास्तुशिल्पकार यांचा अर्ज 4. आग प्रतिबंधक उपायायोजनांबाबतची रुपरेषा 5. कॅपिटेशन फी 6. बांधकाम प्रारंभपत्र व मंजूर नकाशे (पुर्वी घेतली असल्यास) 7. अग्निशमन नाहरकत दाखला (पुर्वी घेतला असल्यास) 8. इमारतीचे प्रस्तावीत नकाशे 9. ग्रॉस बिल्टअप एरिया प्रमाणपत्र. 10. विकासकाचे वास्तुविशारद नियुक्तीपत्र व वास्तुविशारदाचे नोंदाी प्रमाणपत्र. | 1. दिवस | |  |  |  | | --- | --- | --- | | अ.क्र. | तपशील | फी | | 01 | निवासी इमारती |  | |  | लॉजिंग किंवा भाड्याने देता येतील अशी घरे |  | |  | १५ मीटरपेक्षा कमी उंचीच्या  (एक) १५ खोल्यापर्यत | रु.१६,५००/- | |  | (दोन) १५ पेक्षा खोल्यापेक्षा अधिक व ३०  खोल्यापर्यत | रु.२२,०००/- | |  | (तीन) ३० खोल्यापेक्षा अधिक | प्रती चौ. मी. क्षेत्रफळासाठी रु. २२/-. परंतु क्षेत्रफळ १००० चौ. मी. पेक्षा कमी असल्यास कमीत कमी रु.२२,०००/- | | 02 | वेश्मिका |  | |  | (एक) १५ ते २४ मीटर उंच | निवासी इमारतीच्या प्रति चौ. मी. क्षेत्रफळासाठी रु. २२/- परंतु क्षेत्रफळ १००० चौ. मी. पेक्षा कमी असल्यास कमीत कमी रु. २२,०००/- इमारतीच्या अनिवासी / व्यापारी क्षेत्रफळासाठी प्रती मंजूर चौ. मी. क्षेत्रफळासाठी रु. ५५/- | |  | (दोन) २४ मीटर व त्यावरील पंरतू ३५ मीटरपेक्षा अधिक उंच नसलेल्या | निवासी इमारतीसाठी प्रती चौ. मी. क्षेत्रफळासाठी रु. ५५/- परंतु क्षेत्रफळ १००० चौ. मी. पेक्षा कमी असल्यास कमीत कमी रु. ५५,०००/- इमारतीच्या अनिवासी / व्यापारी क्षेत्रफळासाठी प्रती मंजूर चौ. मी. क्षेत्रफळासाठी रु. 110/- | |  | (तीन) ३५ मीटर पेक्षा अधिक परंतू ४५ मीटरपेक्षा अधिक उंच नसलेल्या | निवासी इमारतीसाठी प्रती चौ. मी. क्षेत्रफळासाठी रु. ११०/- परंतु क्षेत्रफळ १००० चौ. मी. पेक्षा कमी असल्यास कमीत कमी रु. १,१०,०००/- इमारतीच्या अनिवासी / व्यापारी क्षेत्रफळासाठी प्रती मंजूर चौ. मी. क्षेत्रफळासाठी रु. 110/- | |  | (चार) ४५ मी. पेक्षा अधिक परंतु १२० मी. पेक्षा अधिक नाही | प्रति चौ. मि. रु. १५०/- | |  | (पाच) १२० मी. पेक्षा अधिक उंचीच्या | इमारतीतील वाणीज्य क्षेत्रफळाकरिता प्रति चौ. मि. रु. २५०/- व रहिवास क्षेत्रफळाकरिता प्रति चौ. मि. २००/- | | 03 | हॉटेल |  | |  | १५ मीटर पेक्षा कमी उंचीच्या |  | |  | (एक) प्रत्येक मजल्यावर ३०० चौरस मीटरपेक्षा अधिक नाही इतके क्षेत्र व्यापलेल्या | रु. १६,५००/- | |  | (दोन) प्रत्येक मजल्यावर ३०० चौरस मीटरपेक्षा अधिक परंतू १००० चौरस मीटरपेक्षा अधिक नाही. इतके क्षेत्र व्यापलेल्या | प्रती चौ. मी. ४४/- परंतु क्षेत्रफळ ५०० चौ. मी. पेक्षा कमी असल्यास कमीत कमी रु. २२,०००/- | |  | (तीन) प्रत्येक मजल्यावर १००० चौरस मीटर पेक्षा अधिक क्षेत्र व्यापलेल्या | प्रती चौ. मी. रु. ३३/- परंतु मंजुर क्षेत्रफळ १००० चौ. मी. पेक्षा कमी असल्यास कमीत कमी रु. ३३,०००/- | |  | १५ मीटर आणि त्यावरील परंतू ३० मीटर पेक्षा अधिक नसलेल्या | प्रती चौ. मी. रु. ४४/- परंतु मंजुर क्षेत्रफळ १००० चौ. मी. पेक्षा कमी असल्यास कमीत कमी रु. ४४,०००/- | | 04 | हॉटेल (तारांकित) |  | |  | १५ मीटर पेक्षा कमी उंचीच्या |  | |  | (एक) त्रितारांकित | प्रती चौ. मी. रु. ५५/- परंतु मंजुर क्षेत्रफळ १००० चौ. मी. पेक्षा कमी असल्यास कमीत कमी रु. ५५,०००/- | |  | (देन) पंचतारांकित | प्रती चौ. मी. रु. ८३/- परंतु क्षेत्रफळ १००० चौ. मी. पेक्षा कमी असल्यास कमीत कमी रु. ८२,५००/- | |  | (तीन) सप्त तारांकित | प्रती चौ. मी. रु. ११०/- परंतु क्षेत्रफळ १००० चौ. मी. पेक्षा कमी असल्यास कमीत कमी रु. १,१०,०००/- | |  | १५ 15 मीटर पेक्षा अधिक उंचीच्या परंतु 30 मीटर पेक्षा कमी उंच | प्रती चौ. मी. रु. १६५/- परंतु क्षेत्रफळ १००० चौ. मी. पेक्षा कमी असल्यास कमीत कमी रु. १,६५,०००/- | |  | 30 30 मी. पेक्षा अधिक | प्रती चौ. मी. रु. 220/- | | 05 | शैक्षणिक इमारती |  | |  | १५ मीटर पेक्षा कमी उंचीच्या |  | |  | (एक) तळ मजला अधिक एक मजला | प्रती चौ. मी. रु. १७/- परंतु क्षेत्रफळ १००० चौ. मी. पेक्षा कमी असल्यास कमीत कमी रु. १६,५००/- | |  | (दोन) तळ मजला अधिक दोन मजला | प्रती चौ. मी. रु. २२/-परंतु क्षेत्रफळ १००० चौ. मी. पेक्षा कमी असल्यास कमीत कमी रु. २२,०००/- | |  | १५ मीटर पेक्षा अधिक उंचीच्या परंतु 30 मीटर पेक्षा कमी उंच | प्रती चौ. मी. रु. ३३/- परंतु क्षेत्रफळ १००० चौ. मी. पेक्षा कमी असल्यास कमीत कमी रु. ३३,०००/ | | 06 | रुग्णालये, आरोग्य धाम व शुश्रुशागृह |  | |  | १५ मीटर पेक्षा कमी उंचीच्या |  | |  | (एक) १००० चौरस मीटरपेक्षा कमी भुखंड क्षेत्राच्या, तळ मजला अधिक एक मजला असलेल्या व खाटा नसलेल्या | प्रती चौ. मी. रु. १७/- प्रमाणे कॅपीटेशन फी आकारण्यात यावी. परंतु क्षेत्रफळ १००० चौ. मी. पेक्षा कमी असल्यास कमीत कमी रु. १६,५००/- | |  | (दोन) १००० चौरस मीटरपेक्षा कमी भुखंड क्षेत्राच्या, तळ मजला अधिक एक मजला असलेल्या व खाटा असलेल्या | प्रती चौ. मी. रु. २२/- परंतु क्षेत्रफळ १००० चौ. मी. पेक्षा कमी असल्यास कमीत कमी रु. २२,०००/- | |  | (तीन) दोन मजल्यापेक्षा अधिक मजले असलेल्या व खाटा नसलेल्या | प्रती चौ. मी. रु.. २८/- परंतु क्षेत्रफळ १००० चौ. मी. पेक्षा कमी असल्यास कमीत कमी रु. २७,५००/- | |  | (चार) दोन मजल्यापेक्षा अधिक मजले असलेल्या व खाटा असलेल्या | प्रती चौ. मी. रु. ३३/- परंतु क्षेत्रफळ १००० चौ. मी. पेक्षा कमी असल्यास कमीत कमी रु. ३३,०००/- कॅपीटेशन | |  | १५ मीटर पेक्षा अधिक उंचीच्या | प्रती चौ. मी. रु. ३९/- परंतु क्षेत्रफळ १००० चौ. मी. पेक्षा कमी असल्यास कमीत कमी रु. ३८,५००/- | | 07 | अभिरक्षार्थ, शिक्षार्थ, प्लेन्टल व समाज मंदिरे |  | |  | १0 मीटर पेक्षा कमी उंचीच्या | प्रती चौ. मी. रु. ३९/- परंतु क्षेत्रफळ १००० चौ. मी. पेक्षा कमी असल्यास कमीत कमी रु. ३८,५००/- | |  | (एक) ३०० व्यक्ती पर्यत | रु. १६,५००/- | |  | (दोन) ३०० व्यक्ती पेक्षा अधिक | रु.२२,०००/- | |  | १० मीटर व त्यावरील परंतू १५ मीटर पेक्षा अधिक नाही | प्रती चौ. मी. रु. २८/- परंतु क्षेत्रफळ १००० चौ. मी. पेक्षा कमी असल्यास कमीत कमी रु. २७,५००/- | |  | १५ मीटर पेक्षा अधिक उंचीच्या परंतु २४ मीटर पेक्षा कमी उंच | प्रती चौ. मी. रु. ३३/- परंतु क्षेत्रफळ १००० चौ. मी. पेक्षा कमी असल्यास कमीत कमी रु. ३३,०००/- | | 08 | व्यावसायिक इमारत |  | |  | १० मीटर पेक्षा अधिक उंचीच्या परंतु २४ मीटर पेक्षा कमी उंच | प्रती चौ. मी. रु. ४४/- परंतु क्षेत्रफळ १००० चौ. मी. पेक्षा कमी असल्यास कमीत कमी रु. ४४,०००/- | |  | २४ मीटर पेक्षा अधिक उंच | प्रती चौ. मी. रु. २२०/- | | 09 | भुयारी व्यापारी संकुल, औद्योगिक इमारत |  | |  | कमी धोक्याच्या |  | |  | १८ मीटर पेक्षा कमी उंचीच्या |  | |  | (एक) ५० चौरस मीटरपर्यंत क्षेत्र व्यापलेल्या | रु. १६,५००/- | |  | (दोन) ५० चौरस मीटरपेक्षा अधिक आणी १०० चौरस मीटरपर्यंत क्षेत्र व्यापलेल्या | रु.२२,०००/- | |  | (तीन) १०० चौरस मीटरपेक्षा अधिक आणी २०० चौरस मीटरपर्यंत क्षेत्र व्यापलेल्या | रु. २७,५००/- | |  | (चार) २०० चौरस मीटरपेक्षा अधिक आणी ४०० चौरस मीटरपर्यंत क्षेत्र व्यापलेल्या | रु. ३८,५००/- | |  | (पाच) ४०० चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्र व्यापलेल्या | प्रती चौ. मी. रु. ५५/- परंतु क्षेत्रफळ १००० चौ. मी. पेक्षा कमी असल्यास कमीत कमी रु. ५५, ०००/- | |  | मध्यम धोक्याच्या |  | |  | (एक) ५० चौरस मीटरपर्यंत क्षेत्र व्यापलेल्या | रु. २२,०००/- | |  | (दोन) ५० चौरस मीटरपेक्षा अधिक आणी १५० चौरस मीटरपर्यंत क्षेत्र व्यापलेल्या | रु. २७,५००/- | |  | (तीन) १५० चौरस मीटरपेक्षा अधिक आणी ३०० चौरस मीटरपर्यंत क्षेत्र व्यापलेल्या | रु. ३८,५००/- | |  | (चार) ३०० चौरस मीटरपेक्षा अधिक आणी ५०० चौरस मीटरपर्यंत क्षेत्र व्यापलेल्या | रु. ४४, ०००/- | |  | (पाच) ५०० चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्र व्यापलेल्या | प्रती चौ. मी. रु. ८३/- परंतु क्षेत्रफळ १००० चौ. मी. पेक्षा कमी असल्यास कमीत कमी रु. ८२,५००/- | |  | धोकादायक वायु व पेट्रोलियम पदार्थ वाहुन नेणारे क्षेत्रपार (Cross Country) नळ मार्ग | प्रती चौ. मी. रु. ८३/- परंतु क्षेत्रफळ १००० चौ. मी. पेक्षा कमी असल्यास कमीत कमी रु. ८२,५००/- | | 10 | गोदामे |  | |  | १५ मीटर उंची पर्यंत |  | |  | (एक) एक मजली इमारत | प्रती चौ. मी. रु. १७/- परंतु क्षेत्रफळ १००० चौ. मी. पेक्षा कमी असल्यास कमीत कमी रु. १६,५००/- | |  | (दोन) तळ मजला अधिक एक मजली इमारत | प्रती चौ. मी. रु. २२/- परंतु क्षेत्रफळ १००० चौ. मी. पेक्षा कमी असल्यास कमीत कमी रु.२२,०००/- | |  | तळ मजला अधिक एकाहुन अधिक मजले | प्रती चौ. मी. रु. २८/- परंतु क्षेत्रफळ १००० चौ. मी. पेक्षा कमी असल्यास कमीत कमी रु. २८,५००/- | |  | धोकादायक इमारती |  | |  | १५ मीटर उंची पर्यंत |  | |  | (एक) एक मजली इमारत | प्रती चौ. मी. रु. २२/- परंतु क्षेत्रफळ १००० चौ. मी. पेक्षा कमी असल्यास कमीत कमी रु.२२,०००/- | |  | (दोन) एक मजल्यापेक्षा अधिक मजले | प्रती चौ. मी. रु. २८/- परंतु क्षेत्रफळ १००० चौ. मी. पेक्षा कमी असल्यास कमीत कमी रु. २८,५००/- | | 11 | मल्टीप्लेक्स/मॉल, रिसॉर्टकरिता | प्रती चौ.मी. क्षेत्रफळासाठी रु. ११०/- | | 12 | दुचाकी / चार चाकी शोरूम | प्रती चौ. मी. क्षेत्रफळासाठी रु. ११०/- | | मुख्य  अग्निशमन अधिकारी | उप-आयुक्त (अग्निशमन) | अतिरिक्त  आयुक्त |
|  | अग्निशमन अंतिम ना-हरकत दाखला देणे | 1. विहित नमुन्यातील अर्ज 2. थकबाकी नसल्याचा दाखला 3. वास्तुशिल्पकार यांचा अर्ज 4. आग प्रतिबंधक उपाययोजनांबाबतची रुपरेषा 5. कॅपिटेशन फी 6. बांधकाम प्रारंभपत्र व मंजुर नकाशे 7. अग्निशमन नाहरकत दाखला 8. वास्तुविशारद यांचा इमारत बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला 9. स्ट्रक्चरल स्टॅबिलीटी प्रमाणपत्र 10. उद्ववाहन (Lift) प्रमाणपत्र 11. ग्रॉस बिल्टअप एरिया प्रमाणपत्र. | 15 दिवस | मुख्य  अग्निशमन अधिकारी | उप-आयुक्त | अतिरिक्त  आयुक्त |
|  | महाराष्ट्र शुश्रृषा- गृह नोंदणी अधिनियम, 1949 अंतर्गत शुश्रृषा – गृह परवाना देणे | 1. विहित नमुन्यातील अर्ज 2. शासन वेळोवेळी विहित करील अशी आवश्यक कागदपत्रे. | 30 दिवस | महाराष्ट्र शुश्रृषागृह नोंदणी (सुधारित) नियम, 2021नुसार रुग्णालाच्या नोंदणीसाठी 1 ते 5 खाटांसाठी रु.3500/- इतके शुल्क आकारले जाईल. तसेच 5 पेक्षा जास्त खाटा असलेल्या शुश्रृषागृहाला प्रत्येकी पाच वाढीव खाटांसाठी रु.3500/- दरानुसार वाढीव शुल्क आकाररले जाईल. | वैदयकीय आरोग्य अधिकारी | उप-आयुक्त (सार्व.आ.वि.) | अतिरिक्त आयुक्त |
|  | महाराष्ट्र शुश्रृषा- गृह नोंदणी अधिनियम, 1949 अंतर्गत शुश्रृषा – गृह परवान्याचे नुतनीकरण करणे | 1. विहित नमुन्यातील अर्ज 2. शासन वेळोवेळी विहित करील अशी आवश्यक कागदपत्रे. | 30 दिवस | शुश्रृषागृहाच्या नुतनीकरणासाठी पूर्वी नोंदणी किंवा नुतनीकरणासाठी आकारलेल्या शुल्काच्या 25% वाढीव शुल्कासह शुल्क आकारले जाईल. | वैदयकीय आरोग्य अधिकारी | उप-आयुक्त (सार्व.आ.वि.) | अतिरिक्त आयुक्त |
|  | महाराष्ट्र शुश्रृषा- गृह नोंदणी अधिनियम, 1949 अंतर्गत परवान्यावर परवानाधारक / भागीदाराचे नाव बदलणे. | 1. विहित नमुन्यातील अर्ज 2. शासन वेळोवेळी विहित करील अशी आवश्यक कागदपत्रे. | 30 दिवस | --- | वैदयकीय आरोग्य अधिकारी | उप-आयुक्त (सार्व.आ.वि.) | अतिरिक्त आयुक्त |
|  | लॉजिंग हाऊस परवाना देणे | 1. विहित नमुन्यातील अर्ज 2. शासन वेळोवेळी विहित करील अशी आवश्यक कागदपत्रे. | 30 दिवस | क्षेत्रफळानुसार | सहा. आयुक्त | उप-आयुक्त | अतिरिक्त आयुक्त |
|  | लॉजिंग हाऊस परवान्याचे नुतनीकरण करणे | 1. विहित नमुन्यातील अर्ज 2. शासन वेळोवेळी विहित करील अशी आवश्यक कागदपत्रे. | 30 दिवस | क्षेत्रफळानुसार | सहा. आयुक्त | उप-आयुक्त | अतिरिक्त आयुक्त |
|  | मंगल कार्यालय / सभागृह वगैरे परवाना देणे | 1. विहित नमुन्यातील अर्ज 2. शासन वेळोवेळी विहित करील अशी आवश्यक कागदपत्रे. | 30 दिवस | मा.प्रशासकीय ठराव दि.19/12/2022 ठराव क्र.159 अन्वये  500 चौ.फु. पेक्षा कमी क्षेत्रफळ प्रती दिवस रु.3,000/- फी + रु.5000/- अनामत रक्कम  500 चौ.फु. पेक्षा जास्त क्षेत्रफळ प्रती दिवस रु.6,000/- फी + रु.5000/- अनामत रक्कम | सहा. आयुक्त | उप-आयुक्त | अतिरिक्त आयुक्त |
|  | मंगल कार्यालय / सभागृह वगैरे परवान्याचे नुतनीकरण करणे. | 1. विहित नमुन्यातील अर्ज 2. शासन वेळोवेळी विहित करील अशी आवश्यक कागदपत्रे. | 30 दिवस | - | सहा. आयुक्त | उप-आयुक्त | अतिरिक्त आयुक्त |
|  | फेरीवाले नोंदणी प्रमाणपत्र देणे | 1. विहित नमुन्यातील अर्ज 2. शासन वेळोवेळी विहित करील अशी आवश्यक कागदपत्रे. | 15 दिवस | शासनाचे सुचनांनुसार स्थानिक स्तरावर निश्चित केलेले शुल्क | समाज विकास अधिकारी | उप – आयुक्त (समाज विकास विभाग) | अतिरिक्त आयुक्त |
|  | भूमिगत दूरसंचार वाहिनी (ऑप्टीकल फायबर केबल) टाकण्याकरीता परवानगी देणे.  (Permission for establishment of under – ground Cable Infrastructure (Optical Fibre Cable) | 1. विहित नमुन्यातील अर्ज 2. नगर विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-2021/C.R.242/UD-20, दि.19/12/2022 मधील Schedule-III नुसार आवश्यक कागदपत्रे 3. शासन वेळोवेळी विहित करीत अशी इतर आवश्यक कागदपत्रे. | 60 दिवस | मिरा भाईंदर महानगरपालिका ठराव क्र.191 दि.29/12/2022 प्रशासकिय ठरावानुसार शुल्क आकारणी करणे कामी दर निश्चित केलेले आहेत.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | अ.क्र | रस्त्याचा प्रकार/ पुर्नपृष्ठीकरण पृष्ठभाग | | प्रस्तावित दर | | 1. | रस्त्याखालुन भुयारी मार्गाने ड्रिलींग करणे | | रु. 2200/-प्रति रनिंग मिटर | | 2. | ग्राऊंटीग केलेला रस्ता | | रु. 4953/-प्रति र.मी | | 3. | कच्चा रस्ता | | रु. 2891/-प्रति र.मी | | 4. | डब्ल्यु बी.एम.रस्ता | | रु. 3919/-प्रति र.मी | | 5. | काँक्रीट रस्ता | सी.सी पॅसेज | रु.12024/- प्रति र.मी | | सी.सी. सीईड पट्टी | रु.12292/- प्रति र.मी | | ए.टी.डब्लु.टी | रु.15069/- प्रति र.मी | | 6. | डांबरी रस्ता | | रु. 9600/-प्रति र.मी | | 7. | कॉक्रीट पदपथ | | रु. 5500/-प्रति र.मी | | 8. | फ्लायओव्हर | | रु. 130000/-प्रति र.मी | | 9. | सब-वे | | रु. 780000/-प्रति र.मी | | 10. | कल्व्हर्ट | | रु. 57200/-प्रति र.मी | | 11. | पदपथ (फुटपाथ)  1) पेव्हर ब्लॉक वगळता इतर पृष्ठभाग (पुर्नपृष्ठीकरण पेव्हर ब्लॉक)  2) पेव्हर ब्लॉक वगळता इतर पृष्ठभाग (पुर्नपृष्ठीकरण लॅक कॉटेड पेव्हर ब्लॉक)  3) पेव्हर ब्लॉक  4) लॅकर कॉटेड पेव्हर ब्लॉक (पुर्नपृष्ठीकरण लॅकर कॉटेड पेव्हर ब्लॉक) | | 1) 8868/- प्रति र.मी  2) 9074/- प्रति र.मी  3) 10129/- प्रति र.मी  4) 9468/- प्रति र.मी | | 12. | रस्ता  1) मास्टीक अस्फाल्ट 25mm  2) मास्टीक अस्फाल्ट 40mm  3) पेव्हर ब्लॉक 80मी.मी  4) पेव्हर ब्लॉक 100मी.मी | | रु.8326/- प्रति र.मी  रु.9221/-प्रति र.मी  रु.6902/-प्रति र.मी  रु.7607/-प्रति र.मी | | 13. | केबल अंथरण्यासाठी अस्तीत्वातील डक्ट वापरणे | | रु. 3000/- प्रति मी/ प्रति केबल | | 14. | जास्त क्षेत्रफळाच्या डक्ट केबलसाठीचे दर | | 6 इंच (182.32 चौ.सेमी) साठी वरील प्रमाणे प्रमाणीत दर त्यापुढील क्षेत्रफळासाठी रस्ता खोदाईमध्ये प्रो रेटा प्रमाणे येणारे अतिरीक्त रस्ता खोदाई आकारणी | | 15. | एच.डी.डी /ओपन कट मधील चेंबर्स | | वरील अ क्र 2 ते 12 प्रत्यक्ष मोजमापाप्रमाणे अधिक 50% | | 16. | शिवाजी महाराज मार्ग | | रु.10,330/- | | 17. | रस्त्याची खोलीचे खोदाईचे दर | | 1) 1 मी किंवा त्यापेक्षा कमी खोली खोदाईसाठी – 1मी खोली खोदाईप्रमाणे असणारे वरीलप्रमाणे प्रमाणीत दर  2) 1 मी पेक्षा जास्त खोली खोदाईसाठी वरील 1 मी प्रमाणे प्रमाणीत दर अधिक वाढीव खोलीसाठी प्रो रेटा प्रमाणे वाढीव दर | | 18. | रस्त्याच्या रुंदीकरीता दर | | 1) 1 मी किंवा त्या प्रेक्ष कमी रुंदीसाठीचे खोदाईसाठी 1 मी रुंदी प्रमाणे असणारे वरील प्रमाणे प्रमाणीत दर  2) 1 मी पेक्षा जास्त रुंदी खोदाईसाठी वरील 1 मी प्रमाणे प्रमाणीत दर अधि वाढीव रुंदीसाठी प्रो रेटा प्रमाणे येणारे वाढीव दर | | 19. | दोषदायित्व कालावधीमध्ये आकारावयाचे दर, | | 1) दोषदायित्व कालावधीचे 1 ले वर्ष वरील दराप्रमाणे येणारी रक्कम अधिक 100 % जास्त  2) दोषदायित्व कालावधीचे 2 रे वर्ष वरील दराप्रमाणे येणारी रक्कम अधिक 50% जास्त  3) दोषदायित्व कालावधीचे 3 रे वर्ष वरील दराप्रमाणे येणारी रक्कम अधिक 25% जास्त | | 20. | दंडात्मक आकारणी  1) पुर्नपृष्ठीकरण फी चा भरणा केला नाही / परंतु विना परवानगी रस्ते खोदाई केली  2) पुर्नपृष्ठीकरण फी चा भरणा केला आहे. / परवानगी पत्र दिले नाही / परंतु विना परवानगी रस्ते खोदाई केली आहे  3) पुर्नपृष्ठीकरण फी चा भरणा केला आहे. / परवानगी पत्र दिले आहे. / परंतु विहीत मुदतीत काम पुर्न केले नाही.  4) डक्ट केबल टाकण्याचे काम झाले आहे. परंतु अतिरीक्त माती उचलण्यात आलेली नाही  5) रस्ता खोदाई परवानगी मधील अटी व शर्ती नियमांचे पालन न केल्यास  6) दंडात्मक रक्कम न भरल्यास | | 1) पुर्नपृष्ठीकरण फी अधिक पुर्नपृष्ठीकरण फी च्या 50% दंडात्मक रक्कम  2) पुर्नपृष्ठीकरण फी च्या 25% दंडात्मक रक्कम  3) मुदत संपल्यानंतर रु. 1300/- प्रति दिन  4) प्रति ट्रक / डंपर फे­यास रु.2600/- प्रमाणे दंड आकारणी  5) सुरक्षा अनामत रक्कमेपासुन वसुल करण्यात येईल  6) सुरक्षा अनामत रक्कमेपासुन वसुल करण्यात येईल | | 21. | भुईभाडे आकारणी | | रु. 10/- प्रति वर्ष प्रति मीटर या प्रमाणे 20 वर्षासाठी एकरकमी रु 200/- प्रति मीटर | | 22. | मायक्रोट्रेन्चींग | | मायक्रोटेन्चींगव्दारे परवानगी देऊ नये | | 23. | सुरक्षा अनामत | | एकणु आर आय चार्जेसच्या 10 टक्के | | 24. | पर्यवेक्षक फी | | एकुण आर आय चार्जेसच्या 15 टक्के | | 25. | विविध चेंबर्स भाडे | | रु. 30,000/- प्रति नग | | 26. | चेंबर्स ची दुरुस्ती न केल्यास | | रु. 5,000/- प्रति दिन दंड | | 27. | स्ट्रीट लाईट पोल वरील एरीयल केबल (फायबर केबल व्यातिरिक्त) | | रु. 500/- प्रति पोल /प्रति वर्ष  व रु.1,00,000/- प्रति किलो मीटर / प्रति वर्ष | | 28. | सर्व रस्ते दुरुस्ती साठी | | 1.00 मीटर रुदी प्रमाणे दर आकारण्यात यावे. | | कार्यकारी अभियंता (बांधकाम / विदयुत)  मिरा भाईंदर महानगरपालिका | मा. जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हास्तरीय दूरसंचार समिती ठाणे | मा. प्रधान सचिव, माहिती तंत्रज्ञान विभाग व अध्यक्ष, राज्यस्तरीय दूरसंचार समिती |
|  | महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) वृक्ष संरक्षण आणि सवंर्धन अधिनियम 1975 मधील कलम 8 मधील तरतुदींनुसार वृक्षतोड परवानगी देणे. | 1. विहित नमुन्यातील अर्ज 2. शासन वेळोवेळी विहित करील अशी आवश्यक कागदपत्रे. | 45 दिवस | रु.300/- प्रती झाड पाहणी फी | सहा. आयुक्त | उप- आयुक्त (उदयान) | अतिरिक्त आयुक्त |

तृतीय व अंतिम अपिल राज्य आयुक्त, कोकण यांचेकडे करता येईल. त्यांचा ई-मेल [crts.konkan@maharashtra.gov.in](mailto:crts.konkan@maharashtra.gov.in) दुरध्वनी 022-20870515

(सुनिल यादव) (रवि पवार) (अनिकेत मानोरकर)

सहा.आयुक्त (सा.प्र) उप-आयुक्त (मुख्यालय) अतिरिक्त आयुक्त (सा.प्र)

मिरा भाईंदर महानगरपालिका मिरा भाईंदर महानगरपालिका मिरा भाईंदर महानगरपालिका